

कार्यालय कलेक्टर जिला-सुकमा (छ0ग0)

//ज्ञापन//

क्रमांक/10 भू-अर्जन/2014-15
प्रति,

सुकमा, दिनांक 20/01/2015

उपसंचालक
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव
छ0ग0

विषय :- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उप धारा (1) की प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में करने के संबंध में ।

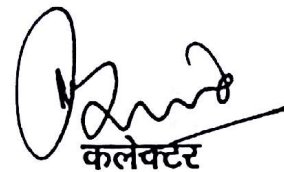
--00--

कार्यपालन अभियंता, जलसंसाधन संभाग सुकमा के द्वारा ग्राम गादीरास की 12.491 हेक्टेयर निजी भूमि के अर्जन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हैं । जिला सुकमा की ग्राम गादीरास प.ह.नं 04 में मलेंजर व्यपवर्तन योजना के मुख्यनहर निर्माण हेतु उपरोक्त भूमि का भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है ।

- 1) उपरोक्त भूमि मलेंजर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु चाहिये ।
- 2) प्रस्तावित भूमि पर कोई मंदिर, मस्जिद, मकबरा, सार्वजनिक भवन अथवा प्राचीन महत्व की संरचना नहीं हैं ।
- 3) प्रस्तावित भूमि में कृषि भूमि एवं भाटा/पड़त भूमि सम्मिलित है ।
- 4) मुआवजे के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में पर्याप्त राशि उपलब्ध हैं ।
- 5) इस भू-अर्जन से आम जनता के निस्तार में कोई असुविधा नहीं होगी ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार अधिसूचना राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन करवाने का कष्ट करें ।

संलग्न :- 02 प्रतियां अधिसूचना



कलेक्टर
जिला सुकमा (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर जिला-सुकमा (छ0ग0)

//ज्ञापन//

क्रमांक/184/भू-अर्जन/2014-15
प्रति,

सुकमा, दिनांक 20/4/15...

संचालक
जनसम्पर्क संचालनालय, छ0ग0
रायपुर

विषय :- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उप धारा (1) के प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में करने के संबंध में ।

--00--

कार्यपालन अभियंता, जलसंसाधन संभाग सुकमा के द्वारा ग्राम गादीरास की 12.491 हेक्टेयर निजी भूमि के अर्जन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । जिला सुकमा की ग्राम गादीरास प.ह.नं 04 में मलेंजर व्यपवर्तन योजना के मुख्यनहर निर्माण हेतु उपरोक्त भूमि का भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत भू-अर्जन की कार्यवाही किया जाना है ।

- 1) उपरोक्त भूमि मलेंजर व्यपवर्तन योजना के मुख्यनहर निर्माण हेतु चाहिये ।
- 2) प्रस्तावित भूमि पर कोई मंदिर, मस्जिद, मकबरा, सार्वजनिक भवन अथवा प्राचीन महत्व की संरचना नहीं हैं ।
- 3) प्रस्तावित भूमि में कृषि भूमि एवं भाटा/पड़त भूमि सम्मिलित है ।
- 4) मुआवजे के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में पर्याप्त राशि उपलब्ध हैं ।
- 5) इस भू-अर्जन से आम जनता के निस्तार में कोई असुविधा नहीं होगी ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार अधिसूचना दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने का कष्ट करें ।

संलग्न :- 03 प्रतियां अधिसूचना



कलेक्टर

जिला सुकमा (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर जिला-सुकमा (छ0ग0)

//ज्ञापन//

क्रमांक//४९-भू-अर्जन/2014-15
प्रति,

सुकमा, दिनांक २४/५/२०१५

जिला जनसम्पर्क अधिकारी
जिला सुकमा

विषय :- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उप धारा (1) के प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में ।

--00--

कार्यपालन अभियंता, जलसंसाधन संभाग सुकमा के द्वारा ग्राम गादीरास की 12.491 हेक्टेयर निजी भूमि के अर्जन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । जिला सुकमा की ग्राम गादीरास प.ह.नं 04 में मलेंजर व्यपवर्तन योजना के मुख्यनहर निर्माण हेतु उपरोक्त भूमि का भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत भू-अर्जन की कार्यवाही किया जाना है ।

- 1) उपरोक्त भूमि मलेंजर व्यपवर्तन योजना के मुख्यनहर निर्माण हेतु चाहिये ।
- 2) प्रस्तावित भूमि पर कोई मंदिर, मस्जिद, मकबरा, सार्वजनिक भवन अथवा प्राचीन महत्व की संरचना नहीं है ।
- 3) प्रस्तावित भूमि में कृषि भूमि एवं भाटा/पड़त भूमि सम्मिलित है ।
- 4) मुआवजे के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में पर्याप्त राशि उपलब्ध है ।
- 5) इस भू-अर्जन से आम जनता के निस्तार में कोई असुविधा नहीं होगी ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार अधिसूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है साथ ही जिला सुकमा की वेबसाईट में अपलोड करने की कार्यवाही करें ।

संलग्न :- 03 प्रतियां अधिसूचना

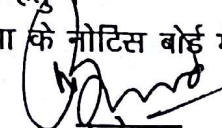

कलेक्टर

जिला सुकमा (छ.ग.)

सुकमा, दिनांक २४/५/२०१५

पृ०क्र./४६ /भू-अर्जन/2014-15
प्रतिलिपि :-

1. कार्यालय कलेक्टर जिला सुकमा के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु ।
2. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) सुकमा के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु ।
3. कार्यालय मु० का० अधि०, जनपद पंचायत सुकमा एवं संबंधित ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु ।
4. कार्यालय तहसीलदार सुकमा के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु ।
5. कार्यालय नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद सुकमा के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु ।


कलेक्टर

जिला सुकमा (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर जिला सुकमा एवं पदेन उप सचिव, छोगो शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, सुकमा

अधिसूचना धारा 11 (1) भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

प्रारंभिक अधिसूचना

क्रमांक 82 /अ-82/2015-16

दिनांक 20/4 /2015

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/ प. ह.नं.	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
1	2	3	4	5	6	7
सुकमा	सुकमा	04/ गादीरास	कुल 80	12.491 हेक्टर	कार्यपालन अभियंता, जलसंसाधन संभाग सुकमा	मलेंजर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु

- यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुकमा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
- प्रस्तावित प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन को छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014, दिनांक 02 मार्च, 2015 के द्वारा अधिनियम, 2013 के अध्याय "दो" एवं "तीन" के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है।
- प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (रा०) सुकमा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(नीरज कुमार बनसोड़)

कलेक्टर, जिला सुकमा

एवं पदेन उप सचिव, छोगो शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मल्लेजर व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु अर्जित भूमि का विवरण

ग्राम - गादीरास, प.ह.नं. 04/गादीरास, तहसील सुकमा जिला सुकमा

सं. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्ट.में)	सं. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्ट.में)
1	2	3	1	2	3
1	1993/1	0.060	42	3414/13	0.020
2	1981/2	0.090	43	3260/2	0.020
3	1980/2	0.480	44	3262/2	0.202
4	1979	0.110	45	3414/6	0.080
5	3261/5	0.050	46	3414/9	0.060
6	3325/1	0.410	47	3414/10	0.060
7	3325/3 क	0.280	48	3414/11	0.050
8	3325/2	0.230	49	3414/12	0.020
9	1978	0.032	50	3417/1 ग	0.101
10	3324	0.480	51	3417/1 घ	0.050
11	3321/4	0.150	52	3419	0.085
12	3261/4	0.042	53	3417/1 क	0.300
13	3321/5	0.050	54	3417/1 ख	0.100
14	3261/1	0.080	55	3420/1	0.110
15	3320/1 क	0.210	56	3423	0.340
16	3320/3	0.135	57	3424	0.012
17	3060/2	0.140	58	3425/1	0.270
18	3270/2	0.140	59	3425/2	0.070
19	3273/2	0.130	60	3425/3	0.080
20	3320/2	0.540	61	3470/2	0.190
21	3360/1	0.165	62	3465/2क	0.125
22	3273/1	0.080	63	3470/3	0.300
23	3370/1	0.250	64	3447/3	0.102
24	3274	0.240	65	3467/1	0.760
25	3361	0.090	66	3463/1	0.096
26	3362	0.393	67	3463/2	0.160
27	3363	0.295	68	3464	0.320
28	3365	0.325	69	3454/2	0.140
29	3364	0.030	70	3460/1	0.096
30	3366	0.085	71	3460/2	0.008
31	3375/2	0.120	72	3456	0.134
32	3375/1 क	0.325	73	3455/1	0.060
33	3283/1	0.136	74	3453	0.060
34	3389/1	0.092	75	3450	0.180
35	3284/1	0.285	76	3470/1	0.030
36	3282	0.120	77	3454/1	0.278
37	3281	0.060	78	3455/3	0.080
38	3269/2	0.125	79	1992/1	0.020
39	3261/2	0.090	80	1991/2	0.092
40	3261/3	0.075	योग	80	12.491
41	3260/1	0.010			

(नीरज कुमार बनसोड़)

कलेक्टर, जिला सुकमा

एवं पदेन उप सचिव, छोगा शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग